अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज0, जयपुर
–:अनौपचारिक टिप्पणी:–

विषयः– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को मुख्यमंत्री निःशुल्क जॉच योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त बजट आंवटन करने के संबंध में।

सन्दर्भः–मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक 899 दिनांक 26.10.2015 के क्रम में।

उपरोक्त संदर्भ एंव विषयान्तर्गत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में अब तक मुख्यमंत्री निःशुल्क जॉच योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार राशि आंवटित की जा चुकी है :– (राशि लाखों में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्ष	विस्तृत लेखामद	पूर्व में आंवटित की गई राशि
1	2210–06–101–20–01	12– सहायतार्थ अनुदान व्यय	100.00
2	2210–06–101–20–01	18– मशीनरी एवं साज सामान	40.00

लेकिन इसके बाद भी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर द्वारा उक्त योजनान्तर्गत निम्नानुसार अतिरिक्त बजट आंवटन की मांग की गई है :– (राशि लाखों में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्ष	विस्तृत लेखामद	अतिरिक्त मांग की गई राशि
1	2210–06–101–20–01	12– सहायतार्थ अनुदान व्यय	85.00
2	2210–06–101–20–01	18– मशीनरी एवं साज सामान	50.00

इससे प्रतित होता है कि उक्त जिले में योजना के अन्तर्गत अत्यधिक बजट की मांग की जा रही है जो कही योजना के दिशा निर्देशों/नियमों की अवहेलना करते हुए/अनियमित भुगतान के कारणों से तो नही हो रहा है।

इस संबंध में विभाग/वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी नियमों एंव निर्देशों के परिपेक्ष में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष में किये जा रहे व्यय की तुलना करते हुए प्रकरण पर अपनी टिप्पणी से अद्योहस्ताक्षरकर्ता को दिनांक 28.10.2015 तक अवगत कराने का श्रम करावे, ताकि अग्रीम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

वित्तीय सलाहकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान,जयपुर

नोडल अधिकारी,
मुख्यमंत्री निःशुल्क जॉच योजना, मुख्यालय।

क्रमांक : ए.4( )लेखा/प्लान/2015–16/651
दिनांक : 27/10/2015